CNR No.-UPFR010015442026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः **नीरज कुमार** ............H.J.S **(CODE- UP 1907)**

आपराधिक निगरानी सख्या– 46/2026

श्याम बिहारी पुत्र स्व० कन्हैयालाल निवासी ग्राम बली पट्टी रानी गाँव तहसील अमृतपुर, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद।

...............निगरानीकर्ता

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद

2–मुकेश पुत्र मेघनाथ निवासी ग्राम बली पट्टी रानी गाँव तहसील अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद।

..................उत्तरदातागण

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, वाद संख्या 2199/2022 मुकेश बनाम श्याम बिहारी में न्यायालय विद्वान उप जिलामजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.02.2026 से क्षुब्ध होकर दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने उत्तरदाता संख्या 02 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. पर आदेश पारित करते हुए निगरानीकर्ता द्वारा मन्दिर के निकट पूर्व में कराये जा रहे निर्माण व वर्तमान समय में एक गढ्ढे में खाली सरियों का पिलर व दो खुदे हुए गढ्ढों को, बन्द कराकर आवागमन हेतु रास्ता को सुचारू रुप से चालू कराने हेतु निर्देशित किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्यों के अनुसार उत्तरदाता सं० 2/प्रथमपक्ष/परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता/ द्वितीय पक्ष/विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय उप जिलामजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी ग्राम बलीपट्टी रानीगाँव का स्थायी निवासी है और अपनी कृषि उपज की ढुलाई का कार्य ग्राम की गलियों से करता है। विपक्षी की पत्नी विगत पंचायत का चुनाव हार गयी थी, इस कारण व ग्रामवासियों को परेशान करने हेतु ग्राम की गलियों को बन्द करवाना चाहता है, जिससे ग्रामवासी हैरान व परेशान हैं और उनका आवागमन सुलभ रुप से न हो सके। ग्राम बलीपट्टी रानीगांव में लालाराम के यहां से रामानन्द के यहाँ तक सार्वजनिक आम रास्ता है, इस पर ग्रामवासी अपनी कृषि उपज, बैलगाडी व ट्रैक्टर आदि लेकर आते–जाते हैं। उपरोक्त

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.07 16:13:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गली के किनारे पूर्व से निर्मित मन्दिर बना हुआ है, इसी मन्दिर के किनारे पश्चिम तरफ विपक्षी सीमेन्ट के पिलर बनाकर सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने हेतु निर्माण कार्य शुरु कराया है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 09.05.20200 को श्रीमान जी से की गयी, जिस पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.05.2022 द्वारा आदेश "एस.एच.ओ. अमृतपुर कृपया जाँच कर रास्ते में विवाद का समाधान करें तथा मौके पर शान्ति व्यवस्था करें।" पारित किया गया। इस पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया और निर्माण गलत होने के कारण निर्माण को रूकवा दिया गया, लेकिन विपक्षी निर्माण को सार्वजनिक रास्ता पर कराने हेतु आमादा है और लगातार प्रयासरत है। कथित आम रास्ता सार्वजनिक है। परिवाद पत्र के अन्त में नक्शा नजरी दर्शाया गया है, जिसमें वर्णित स्थान अ,ब,स पर विपक्षीगण सीमेन्ट के पिलर लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर रहा है, अ स्थान पर उसने एक सीमेन्टेड पिलर की सरिया भी खडी कर दी है, जिसको थाना पुलिस ने आदेशानुसार रुकवा दिया है, लेकिन विपक्षी निर्माण कराये जाने पर आमादा है और वह गलत लगाई गयी सीमेन्ट की सरियां हटाने को तैयार नहीं है। वाद का कारण दिनांक 18.05.2022 को समय 10.00 बजे दिन तब उत्पन्न हुआ जब विपक्षी ने जानबूझकर गलत लगाई गई सीमेन्ट की सरियां को हटाने से मना कर दिया और रास्ते में खोदे गये गड्ढों को भरने से भी मना कर दिया गया। गड्ढों में गिरकर ग्रामवासी चुटहिल भी हो रहे हैं। आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. की कार्यवाही कर लगाए गये सीमेन्ट सरिया को हटवाया जाना एवं रास्ता में खोद गये पिलर लगाने हेतु गड्ढों दो बन्द कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

3– विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के वाद पत्र के क्रम में धारा 133(1) सी.आर.पी.सी. के तहत नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त के विरुद्ध द्वितीय पक्ष/विपक्षी द्वारा विचारण न्यायालय में विस्तृत आपत्ति दाखिल की गयी जिसके मुख्यतः कथन है कि प्रथम पक्ष द्वारा लगाये गये आरोप असत्य है। प्रथम पक्ष द्वारा दर्शायी गयी नक्शा नजरी सच्चाई से परे है क्योंकि सड़क से एक मीटर पूर्व मंदिर बना है, उत्तर एक मीटर और मंदिर से पश्चिम एक मीटर करीब परिक्रमा हेतु जगह छोड़कर नीवं भरी है। सड़क और खोदे गए गड्ढो के बीच परिक्रमा निर्माण हेतु भरवाई गयी नीवं को भी रास्ता की तरफ छोड़ा गया है एवं अन्य कथनों के साथ वाद निरस्त किए जाने का याचना की गयी।

4– उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति व प्रतिआपत्ति पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2026 को प्रथमपक्ष/उत्तरादाता सं० 2 के प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी पर आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष/निगरानीकर्ता द्वारा मन्दिर पर पूर्व में कराये जा रहे निर्माण व वर्तमान समय में एक गढ्ढे में खाली सरियों का पिलर व दो खुदे हुए गड्ढों को, बन्द कराकर आवागमन

हेतु रास्ता को सुचारू रुप से चालू कराने हेतु निर्देशित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

5– निगरानी में, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं तलबिदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6– निगरानी में आधार व तर्क लिये गये है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं आलोच्य आदेश विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 133 दं.प्र.सं. में निहित प्रक्रिया के विरुद्ध पारित किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत उचित जाँच नहीं की और उन्होंने सी.आर.पी.सी. की प्रक्रिया का पालन किये बिना धारा 138 सी.आर.पी.सी. के तहत आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर विपक्षी को कोई मौका नहीं दिया गया। मजिस्ट्रेट ने धारा 138(1) के अनुसार जाँच नहीं की। विपक्षी को जाँच में पेश किये गये गवाह से जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए था इसके बाद कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश देना चाहिए था। मजिस्ट्रेट ने सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों पर ध्यान न देते हुए अविधिक आदेश पारित किया है, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश खण्डित किया जाए।

7– उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा निगरानी के विरुद्ध आपत्ति का०सं० 13बी दाखिल कर कथन किया गया कि थाना अमृतपुर आख्या कागज संख्या 6/8 दिनांक 01.07.2022 एवं 22.07.2022 कागज संख्या 6/9 द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि सार्वजनिक आम रास्ता पर निगरानीकर्ता ने आम रास्ते से सटाकर 3 पिलर बनाये जा रहे है, जिससे बड़े वाहनों के आने जाने में परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत करने पर निर्माण कार्य को रूकवा दिया गया था। मौके पर वर्तमान में एक गढ्ढे में सरियों का एक पिलर बना है तथा दो गड्ढे पिलर बनाने हेतु खुदे पड़े है। खोदे हुए गढ़्ढों में पिलर लगाने से सार्वजनिक आम रास्ता अवरूद्ध होगा। इस सम्बन्ध में तहसील अमृतपुर से भी आख्या दिनांक 08.02.2022 कागज संख्या 6/5 तलब की गई। सभी तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा–133 (1)दं०प्र०सं० कागज संख्या 7 का नोटिस जारी किया गया और उसे डिनायल एवीडेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। निगरानीकर्ता ने न्यायालय उपस्थित आकर कोई भी तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया और अपने डिनायल एवीडेन्स दिनांकित 10.10.2024 कागज संख्या 54 में यह कहा कि इसका व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से कोई भी सम्बन्ध नही है। निगरानीकर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा डिनायल एवीडेन्स सार्वजनिक आम रास्ता पर अतिक्रमण करने से इंकार नहीं किया गया है और यह भी नहीं कहा गया है कि

परिवाद पत्र में वर्णित अतिक्रमण से सार्वजनिक रास्ता बाधित भी नहीं होता है। धारा–133(1) द०प्र०सं० का नोटिस जारी होने के उपरान्त अन्तर्गत धारा–135 दं०प्र०सं० सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता आदेश का पालन करेगा अथवा कारण दर्शित करेगा। लेकिन निगरानीकर्ता ने कोई भी कार्य दर्शित नहीं किया। कथित अतिक्रमण से अपना कोई भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं होना बताया। अन्तर्गत धारा–136 दं०प्र०सं० हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अन्तिम कर दिया जायेगा। इस प्रकार, अन्तर्गत धारा–136 द०प्र०सं० दिनांक 08.12.2023 एवं 23.12.2024 को प्रार्थना पत्र दिये। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2025, 05.05.2025, 22.09.2025, द्वारा नायब तहसीलदार अमृतपुर के अन्तर्गत कमेठी गठित कर आख्या तलब की और गठित कमेठी नायब तहसीलदार अमृतपुर ने आख्या दिनांक 10.10.2025 प्रस्तुत की जो दिनांक–10.11.2025 को पत्रावली पर रखी गई और अन्तर्गत धारा 136 दं०प्र०सं० आदेश दिनांक 07.02.2026 पारित किया गया, अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाए।

8– उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि निगरानीकर्ता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति कागज सं० 15 प्रस्तुत कर यह स्वीकारोक्ति की है कि उक्त प्रश्नगत रास्ता आमजन के आवागमन हेतु सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यह भी स्वीकार किया गया है कि वादपत्र की क्रम सं० 3 स्वीकार है कि ग्राम वलीपटटी रानगांव में लालाराम के यहां से रामानन्द के यहां तक सार्वजनिक रास्ता है, इस पर समस्त ग्रामवासी अपनी कृषि उपज, बैलगाड़ी व ट्रैक्टर आदि लेकर आते जाते हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी अर्थात निगरानीकर्ता का इससे व्यक्तिगत कोई सरोकार नहीं है। इस स्वीकारोक्ति से ही यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी/निगरानीकर्ता को उक्त सार्वजनिक रास्ता होने से इन्कार नहीं है एवं न ही उसका उक्त पिलर, गडढो आदि कथित अतिक्रमण से सरोकार वास्ता नहीं है।

9– धारा 133 सी.आर.पी.सी. यह प्रावधानित करती है कि (1) *जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–*

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लायी जाती है या लायी जा सकती है, कोई विधि विरूद्ध बाधा या

न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए; अथवा

(ख) .... (ग).............(घ)........... (ड.)...........(च)..........

तब ऐसा मजिस्ट्रेट किसी बाधा या न्यूसेन्स पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे मामले या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तम्बू, सरंचना , पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्या या नियन्त्रण रखने वाले या ऐसे जीव जन्तु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अन्दर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा वह ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे, अथवा............

अथवा यदि वह ऐसा करने मे आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात उपबन्धित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

10– उपरोक्त प्राविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि धारा 133 दं०प्र०सं० के प्राविधान मुख्यतः वहीं लागू होते हैं जहां मामला किसी सार्वजनिक स्थान या मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का हो। निगरानीकर्ता ने भी उक्त प्रश्नगत रास्ता को सार्वजनिक रास्ता कहा है एवं कथित अतिक्रमण से अपना वास्ता न होने का कथन किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में थानाध्यक्ष अमृतपुर की आख्या संलग्न है जिसमें कहा गया है कि "मन्दिर के चारों तरफ पिलर लगाकर निर्माण कराया जा रहा था परन्तु मन्दिर के तरफ सार्वजनिक आम रास्ता है। आम रास्ते से सटाकर तीन पिलर बनाये जा रहे हैं जिससे सड़क के किनारे नाली का निर्माण नहीं हो सकता है और बड़े वाहनों के आने जाने में परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत करने पर निर्माण कार्य को रूकवा दिया गया था। वर्तमान में मार्ग अवरूद्ध नहीं है, वर्तमान में एक गडढे में खाली सरियों का एक पिलर बना हुआ है व दो गडढे खुदे हुए पड़े हैं खोदे हुए पिलरों को जनहित में बन्द करना आवश्यक है।" इसी प्रकार की आख्या राजस्व कर्मियों द्वारा भी दी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशपत्रक से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने उभय पक्षों को सुनवायी व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया है। पत्रावली पर नायब तहसीलदार अमृतपुर की अध्यक्षता में गठित राजस्व टीम की आख्या जब प्रस्तुत की गयी एवं उसकी सुनवायी हेतु तिथियां नियत की गयीं तो उसके विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी और पत्रावली से यह प्रकट नहीं होता है कि निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई अनुरोध भी किया गया हो अथवा आपत्ति हेतु समय चाहा गया है। तब विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों एवं साक्ष्यों के दृष्टिगत एवं नायब तहसीलदार अमृतपुर की अध्यक्षता में गठित राजस्व टीम

की आख्या दिनांकित 10.10.2025 के आधार पर यह पाते हुए कि मन्दिर का मुख्य भाग लगभग चालीस वर्ष पूर्व से ही निर्मित हुआ था तथा मन्दिर पर पिलर बनने के उपरांत उक्त सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई कम होना स्वभाविक है, मन्दिर के पास सड़क से सटे हुए गडढों जिसमें खाली सरियों का एक पिलर बना हुआ है व दो गडढे खुदे हुए पड़े हैं, को बन्द करा कर आवागमन सुचारू रूप से चालू करने हेतु थानाध्यक्ष अमृतपुर को निर्देशित किया है। उक्त आलोच्य आदेश विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है एवं इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, तदनुसार बलहीन होने के कारण निगरानी खण्डित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी खण्डित की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस प्रेषित किया जाये तथा निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः07.07.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।
(CODE-UP 1907)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः07.07.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।
(CODE-UP 1907)